छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

वित्त समिति की 63वीं बैठक
की
<u>कार्यवाही</u>

दिनांक : 24.03.2022 (बृहस्पतिवार) **अपरान्ह : 03:00 बजे**

स्थान : विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए-

1. **प्रो० विनय कुमार पाठक,** — अध्यक्ष
   कुलपति,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।
2. **श्री अजय जौहरी,** — सदस्य
   अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर।
   (प्रमुख सचिव वित्त, द्वारा नामित प्रतिनिधि)
3. **प्रो० रिपुदमन सिंह,** — सदस्य
   क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
   (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि)
4. **डॉ० रचना अस्थाना,** — सदस्या
   निदेशक,
   डॉ० अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैण्डीकैप,
   कानपुर।
5. **डॉ० अनिल कुमार यादव,** — सदस्य
   कुलसचिव,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।
6. **श्री अजीत प्रताप सिंह,** — सदस्य
   (सहायक कुलसचिव, परीक्षा)
   प्रतिनिधि, परीक्षा नियंत्रक
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।
7. **प्रेम शंकर चौधरी,** — सचिव
   वित्त अधिकारी,
   छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
   कानपुर।

:: कार्यवाही ::

सचिव द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

प्रस्ताव संख्या 2021:63:01 A	**वित्त समिति की 62वीं बैठक दिनांक 07.12.2021 को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवृत्त की पुष्टि/कार्यवाही।**

<table>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या
2021:63:01 B</td><td>वित्त समिति की 62वीं बैठक दिनांक 07.12.2021 को लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।</td></tr>
<tr><td></td><td>पिछली वित्त समिति की बैठक 07.12.2021 के कार्यवृत्त, Action Taken Report सम्पुष्टि हेतु संलग्न कर समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>2021:63:02</td><td>बजट मदों के प्रस्ताव पर विचार।

उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी</td></tr>
<tr><td colspan="2">शैक्षणिक प्रस्ताव</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या
2021:63:03</td><td>वित्त समिति की विगत 62वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 2021:62:03C, 2021:62:03D, 2021:62:08अ.बि. एवं 2021:62:09अ.बि. के कार्यवृत्त में त्रुटि के संशोधन हेतु प्रस्ताव पर विचार।</td></tr>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td>2021:63:03
A</td><td>विगत वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या–2021:62:03C 'परीक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के शिक्षकों के पारिश्रमिक बिलों के भुगतान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार' के कार्यवृत्त में वांछित संशोधन पर विचार।</td></tr>
<tr><td>कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णय</td><td>उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचार कर पिछले छः माह के सभी बिलों को फरवरी, 2022 तक भुगतान कराना सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देश देते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>कार्यवृत्त में प्रस्तावित संशोधन</td><td>उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचार कर <u>वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के शिक्षकों के पारिश्रमिक के सभी बिलों</u> को फरवरी, 2022 तक भुगतान कराना सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक को निर्देश देते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>
उक्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि माननीया राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–ई–1704/जी0एस दिनांक 23 मार्च, 2022 (संलग्नक–1) में आदेशित प्रकियानुसार परीक्षा पारिश्रमिकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक</td></tr>
</table>

	2021:63:03 **B**	विगत वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या–2021:62:03D 'एम0बी0बी0एस0 / बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / एम0एस0 / एम0डी0 / आयुर्वेदिक / बी0एस–सी0 नर्सिंग के छात्र जो स्क्रूटिनी / चैलेन्ज के परिणाम के बाद भी असंतुष्ट होते हैं, के शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया एवं शुल्क निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार' के कार्यवृत्त में वांछित संशोधन पर विचार।
	कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णय	निर्णय–III उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध कराने का शुल्क परीक्षा–शुल्क के साथ ही ले लिया जायेगा, का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
	कार्यवृत्त में प्रस्तावित संशोधन	निर्णय–III उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध कराने का शुल्क **आगामी परीक्षा फार्म सब्मिशन में** परीक्षा–शुल्क के साथ ही ले लिया जायेगा **एवं जिस परीक्षा का फार्म सब्मिशन हो चुका है उनका शुल्क स्कूटिनी हेतु आवेदन के साथ लिया जायेगा,** का समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
	उक्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा शुल्क इत्यादि, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी नियमों व परिनियमों को दृष्टिगत रखते हुये प्राप्त करना सुनिश्चित करें। **कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक**	
	2021:63:03 **C**	विगत वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या–2021:62:08**अ.बि.** **'विश्वविद्यालय के मूल्यांकन प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के संदर्भ में Digital मूल्यांकन कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार'** के कार्यवृत्त में वांछित संशोधन पर विचार।
	कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णय	उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त विचार कर जेम अथवा यू.पी.डेस्को के माध्यम से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
	कार्यवृत्त में प्रस्तावित संशोधन	उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त विचार कर **निर्णय लिया गया कि माह सितम्बर, अक्टूबर में सम्पन्न हुई मेडिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का Digital मूल्यांकन नियमानुसार टेण्डर कर प्राप्त एल–1 एजेन्सी से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कराया जा रहा है, जिसके**

<table>
<tr><td></td><td></td><td><u>सफल होने पर आगामी परीक्षाओं में</u> जेम अथवा यू.पी. डेस्को के माध्यम से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">उक्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक</td></tr>
<tr><td></td><td>2021:63:03
D</td><td>विगत वित्त समिति के प्रस्ताव संख्या–2021:62:09 अ.बि. 'विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी अतिगोपनीय कार्यों की सम्पूर्ण विधि एवं प्रक्रिया के अनुमोदन पर विचार' के कार्यवृत्त में वांछित संशोधन पर विचार।</td></tr>
<tr><td></td><td>कार्यवृत्त में उल्लेखित निर्णय</td><td>उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त विचार करते हुए राजभवन के निर्देशों का पालन करते हुये विधि एवं प्रक्रिया हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td>कार्यवृत्त में प्रस्तावित संशोधन</td><td>उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त विचार करते हुए <u>प्रस्तुत संलग्न प्रकिया पर</u> अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">उक्त संशोधन संबंधी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या
2021:63:04</td><td colspan="2">सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 01.01.2022 के मद संख्या–2022:1.2 के बिन्दु संख्या–03 पर सत्र 2022–23 से एक सत्र हेतु सम्बद्धता विस्तरण शुल्क रू0 50,000/–मात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा जमा कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, पर विचार।

दिनांक 01.01.2022 को सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक के मद संख्या 2022:1.2 के बिन्दु संख्या 03 पर सत्र 2022–23 से एक सत्र हेतु सम्बद्धता विस्तरण शुल्क रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा जमा कराये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

अतः सत्र 2022–23 से एक सत्र हेतु सम्बद्धता विस्तरण शुल्क रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र किये जाने सम्बन्धी उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</td></tr>
</table>

	समिति की बैठक के दौरान उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि सम्बद्धता प्रदान किये जाने के अतिरिक्त कार्य भी महाविद्यालय संचालन सम्बन्धी प्रक्रिया के अंग हैं तथा महाविद्यालयों द्वारा इस कार्य/प्रक्रिया हेतु पृथक से आवेदन किये जाते हैं। 1. महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति अनुमोदन हेतु आवेदन। 2. शिक्षक अनुमोदन निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक द्वारा आवेदन। 3. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन/पंजीकरण (नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/ सहायक आचार्य पद हेतु चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण प्रारम्भ किया जाना है।) उक्त प्रक्रियाओं हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं में शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। **सम्बद्धता विस्तरण शुल्क रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र, प्रबन्ध समिति अनुमोदन हेतु शुल्क रू0 10,000.00 (दस हजार) मात्र, शिक्षक अनुमोदन निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक द्वारा रू0 1,000.00 (एक हजार) मात्र एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्य पद हेतु 'पंजीकरण/आवेदन शुल्क' रू0 500.00 (पॉच सौ) मात्र शुल्क के रूप में निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव**
प्रस्ताव संख्या 2021:63:05	**विश्वविद्यालय के छात्र सहायता प्रकोष्ठ द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त, नगर निगम, उच्चतर माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक एवं अर्द्ध शासकीय कालेज/संस्थानों का निःशुल्क सत्यापन किये जाने पर विचार।**
	विश्वविद्यालय के छात्र सहायता प्रकोष्ठ में निरीक्षण के दौरान माननीय कुलपति महोदय जी के मौखिक आदेशानुसार सरकारी सहायता प्राप्त, नगर निगम, उच्चतर माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक एवं अर्द्ध शासकीय कालेज/संस्थानों को निःशुल्क सत्यापन भेजे जाने हैं, के क्रियान्वयन पर कार्येत्तर स्वीकृति पर विचार हेतु प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। **वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सत्यापन के समय कोई शुल्क न लिया जाय तथा आगामी सत्र से प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रवेश के समय ही अन्य शुल्क में रू0 150/-(एक सौ पच्चास) समाहित करते हुये प्राप्त कर लिया जाये।** **कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक**

प्रस्ताव संख्या 2021:63:06	**Proposal of increase in the tuition fees for B.Tech. in Computer Science and Engineering and B.Tech. in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) and MCA and BCA courses from the session 2022-23.**

A - Increase in tuition fee for B.Tech. in Computer Science and Engineering and Tech. in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) from 2022-23

S.N.	Course Name	Previous Tuition Fees (per year)	Previous Total Fees (with exam fee and enrollment fee) (per year)	Increase in tuition fee from 2022-23 per year	Final tuition fee after increase	Total Fee (with exam fee and enrollment fee) (per year)	No.of Students	Total Income	Income Difference
1.	B.Tech in Computer Science and Engineering (120 seats)	85,000	89,200	15,000	1,00,000	1,04,200	120	12,50,40,000	18,00,000
2.	B.Tech in Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (60 seats)	90,000	94,200	10,000	1,00,000	1,04,200	60	62,52,000	6,00,000
								Total income difference	**24,00,000**

B - Increase in tuition fee for BCA and MCA in Computer Applications from 2022-23

S.N.	Course Name	Previous Tuition Fees (per year)	Previous Total Fees (with exam fee and enrollment fee) (per year)	Increase in tuition fee from 2022-23 per year	Final tuition fee after increase	Total Fee (with exam fee and enrollment fee) (per year)	No. of Students	Total Income	Income Difference
1.	MCA	50,000	54,200	5,000	55,000	59,200	60	35,52,000	3,00,000
2.	BCA	40,000	44,200	5,000	45,000	49,200	300	1,47,60,000	15,00,000
								Total income difference	**18,00,000**

उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : निदेशक, यू.आई.ई.टी., / कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 2021:63:07 A	विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध कॉलेजेस में शोध हेतु रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट प्रकोष्ठ शोध के उत्थान हेतु वाह्य शिक्षकों के व्याख्यान हेतु रू0 2,00,000/– धनराशि के प्रस्ताव पर विचार।
प्रस्ताव संख्या 2021:63:07 B	**Pre-Ph.D.** की कक्षाओं हेतु पूर्व में अनुमोदित धनराशि के आधार पर भुगतान एवं **Co-Coordinator** हेतु रू0 5000/– प्रति **Coursework of 06 Months Coordinator** हेतु रू0 20,000/– की सहमति प्रदान करना चाहें। कोर्स–वर्क के लिए रू0 1,50,000/– प्रति सेण्टर, 10 सेण्टर हेतु रू0 15,00,000/– **Coordinator (@20,000/-)=1,80,000/- for contingency Rs. 2,00,000/-** **20 x 5,000 = Rs. 1,00,000/- for co-ordinators** कुल लागत रू0 18,00,000/– कोर्स वर्क हेतु 1.5 घण्टा समयांतराल के लेक्चर के लिए रू0 600/– से रू0 1000/– किये जाने पर विचार एक्सटर्नल फैकल्टी द्वारा 1.5 घण्टे के लेक्चर हेतु रू 1,000/– से 1,500/– किये जाने पर विचार।

S.No.	Budget Head	Expected Expenditure
1.	Research talks by eminent academicians (in online mode)	**2,00,000/-**
2.	Softwares for plagiarism check	**10,00,000/-**
3.	Pre-Ph.D. classes for upcoming semesters	**20,00,000/-**
	Total :	**32,00,000/-**

उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : डीन, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट

प्रशासनिक प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2021:63:08	**विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 10.02.2018 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजन परिसर स्थित सीनेट हॉल में किया गया था। कुलपति सम्मेलन में की गई व्यवस्था अनुसार प्रदत्त स्वीकृति रू0 8.90 लाख के सापेक्ष उल्लिखित फर्म को अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने पर विचार।**
	विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 10.02.2018 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन का आयोजन परिसर स्थित सीनेट हॉल में किया गया था, कार्यक्रम में व्यय हुये भुगतान हेतु पत्रावली दिनांक 13.03.2018 मा. कुलपति जी को प्रस्तुत की गई थी, जो कि (पत्रावली के पृष्ठ संख्या 06 के अनुसार) वार्ता कर विभाग को वापस की दी गई। उपरोक्त के सम्बन्ध में यह उल्लिखित करना है कि कार्य को पूर्व में दीक्षांत समारोह कराई गई व्यवस्था अनुसार ही उन्हीं फर्मों से कराये जाने की स्वीकृति पृष्ठ 01 पर प्राप्त है एवं पृष्ठ संख्या 02 पर फर्मों के सम्मुख अंकित

कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय की कुल स्वीकृति धनराशि रू0 8.90 लाख की व्यय स्वीकृति फर्मों को उनके द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान सहित प्रदत्त की गई है। किन्तु अभी तक फर्मों को उनके द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि फर्मों द्वारा लगातार भुगतान की मांग की जा रही है।

अतः उपरोक्त के सहमति की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन में की गई व्यवस्था अनुसार पृष्ठ–02 पर प्रदत्त स्वीकृति रू0 8.90 लाख के सापेक्ष पृष्ठ 06 पर उल्लिखित भुगतान प्रस्ताव फर्म के सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से गठित समिति के सदस्य श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर तथा वित्त एवं लेखाधिकारी की द्विसदस्यी समिति को गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति के सुझावानुसार भुगतान पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही अपेक्षित : प्रभारी, सम्पत्ति विभाग/कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 2021:63:09

विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर/ओल्ड गेस्ट हाउस में आगन्तुकों के Tea/Coffee, B/F, Lunch, Dinner की दरें पूर्व में निर्धारित की गई थीं, परन्तु वर्तमान समय में महगाई अत्याधिक बढ़ गई है, जिस कारण Tea/Coffee, B/F, Lunch, Dinner इत्यादि की दरों में परिवर्तन, पर विचार।

विश्वविद्यालय परिसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर/ओल्ड गेस्ट हाउस में आगन्तुकों के Tea/Coffee, B/F, Lunch, Dinner की दरें पूर्व में निर्धारित की गई थीं, परन्तु वर्तमान समय में महगाई अत्याधिक बढ़ गई है, जिस कारण Tea/Coffee, B/F, Lunch, Dinner इत्यादि की दरों में परिवर्तन करना अति आवश्यक है, जिसका विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया गया –

S.No.	Items	Old Guest House old rate	International Center old rate	items	New rate
1.	Tea	8/-	8/-	Tea	8/-
2.	Coffee	-	-	Coffee	15/-
3.	Snacks	-	-	Snacks	50/-
4.	B/F	50/-	50/-	B/F	75/-
5.	Lunch	75/-	100/-	Lunch	130/-(150/- with paneer geg.)
6.	Dinner	75/-	100/-	Dinner	130/-

उपरोक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : प्रभारी, ओल्ड गेस्ट हाउस/

	इण्टरनेशनल गेस्ट हाउस
प्रस्ताव संख्या 2021:63:10	**याचिका संख्या–56843/2010 डॉ0 नीरू चन्द्रा बनाम सय्यद वकार हुसैन के कम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अवमाननावाद में कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य के सापेक्ष योजित याचिका में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 08.12.2019 के विरूद्ध दाखिल प्रतिशपथ पत्र दिनांक 18.09.2021 से सम्बन्धित है। सन्दर्भित प्रकरण पर संस्थान को वापस की गई सुरक्षा धनराशि के ब्याज की प्रकृति के संबंध में एंव मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2010 एवं मा0 उच्च न्यायालय में अद्यतन लम्बित महाविद्यालय की सुरक्षा धनराशि के ब्याज सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।**
	याचिका संख्या–56843/2010 डॉ0 नीरू चन्द्रा बनाम सय्यद वकार हुसैन के कम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अवमाननावाद में कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य के सापेक्ष योजित याचिका में दाखिल शपथ पत्र दिनांक 08.12.2019 के विरूद्ध दाखिल प्रतिशपथ पत्र दिनांक 18.09.2021 से सम्बन्धित है। सन्दर्भित प्रकरण पर संस्थान को वापस की गई सुरक्षा धनराशि के ब्याज की प्रकृति के संबंध में एंव मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.09.2010 के अंश 'क' *"After considering the submissions of the parties, I am of the view that there is no dispute regarding deposit of Rs. 5,00,000/- as security by the pertitioner that too in the year 1998 by way of bank draft in the name of Finance Officer of the University and it has also been informed to the petitioner that the said amount has been kept in a separate account in a fixed deposit. It is also not disputed that some litigation was going on and ultimately recognition to the institution has not been granted. In such circumstances, in my opinion. petitioner in entitled for refund of Rs. 5,00,000/- deposited by her in the year 1998."* पर आख्या प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव लेखा विभाग को प्रस्तुत किया गया था, जिसके कम में लेखा विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी निम्नवत् है:– "अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय के अनुपालन में सन्दर्भित महाविद्यालय को उसके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि अलग खातों में न रखते हुये विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में ही जमा की जाती है।" तद्कम में विभाग द्वारा लेखा विभाग को पुनः स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में अद्यतन लम्बित है। **उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संदर्भित महाविद्यालय की संदर्भित सुरक्षा धनराशि (Security Money) के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से सूचना प्राप्त कर ली जाये कि सन्दर्भित सुरक्षा धनराशि बैंक के किस खाते में कितने ब्याजदर पर जमा की गयी थी ? बैंक से प्राप्त लिखित सूचनानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये, भविष्य में सुरक्षा धनराशि (Security Money) खाते में जमा होने की स्थिति में यह धनराशि बचत खाते में जमा होगी तथा वापसी की स्थिति में महाविद्यालय को मात्र मूलधन वापस किया जायेगा एवं सुरक्षा धनरशि से प्राप्त व्याज को छात्र–कल्याणहित में हस्तान्तरित किया जायेगा।** **कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी/कुलसचिव**

प्रस्ताव संख्या 2021:63:11	**Proposal placed by Innovation Cell Coordinator to permit the purchase of the following items for the Innovation and Entrepreneurship Incubation Cell. Kindly permit placing the below budget requirements in the Finance Committee and carry-over of last financial budget into the current financial year.**

FINANCIAL BUDGET FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP INCUBATION CELL

Sr. No.	Item	Justification	Unit Cost (Rs)	Quantity	Total estimated Cost (Rs)
1	Air Conditioners 1.5 T	Create Comfortable working space for incubate and their training	40,000/-	12	3,60,000/-
2	Smart LCD screen system with video recording system	For conducting online training programs and expert mentoring from national and international experts	3,00,000/-	01	3,00,000/-
				Total =	**6,60,000/-**

Kindly approve expenditure of Rs- 6,60,000/- for purchase of infrastructure requirement for the proper functioning of the Innovation & Entreprenership Incubation cell.

उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : प्रभारी, इन्नोवेशन सेल

प्रस्ताव संख्या 2021:63:12	**विश्वविद्यालय के छात्र सहायता प्रकोष्ठ में विदेश भेजे जाने वाले प्रपत्र–ट्रान्सकिप्ट (Transcript) को तैयार कर भेजने में कई प्रकिया से गुजरना होता है। इस प्रकिया (Transcript) को पूर्ण करने एवं पुनः सत्यापन हेतु बाहरी विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्राप्त जैसे– WES, CES एवं अन्य के द्वारा प्राप्त आवेदनों का "नवीन शुल्क" निर्धारित किये जाने, पर विचार।**

विश्वविद्यालय के छात्र सहायता प्रकोष्ठ में विदेश भेजे जाने वाले प्रपत्र–ट्रान्सकिप्ट (Transcript) को तैयार कर भेजने में कई प्रकिया से गुजरना होता है, जिसका पूर्व वर्षों में, जो शुल्क निर्धारित था जैसे– प्रथम पाठ्यक्रम शुल्क रू0 500/– प्रति पाठ्यक्रम उसके साथ अन्य पाठ्यक्रम शुल्क रू0 200/– प्रति पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त प्रतिलिपि शुल्क रू0 100/– प्रति पाठ्यक्रम इसके उपरान्त पत्र तैयार कर प्रेषित किया जाता था।

अतः उचित होगा कि इस प्रक्रिया (Transcript) को पूर्ण करने एवं पुनः सत्यापन हेतु बाहरी विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्राप्त जैसे– WES, CES एवं अन्य के द्वारा प्राप्त आवेदनों का "नवीन शुल्क" निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव निम्न

	है। प्रथम पाठ्यक्रम शुल्क रू0 1,000/-(एक हजार) मात्र, अन्य पाठ्यक्रम शुल्क रू0 500/- प्रति पाठ्यक्रम, अतिरिक्त प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/- प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। **उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।** **कार्यवाही अपेक्षित : परीक्षा नियन्त्रक**	
प्रस्ताव संख्या 2021:63:13	कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत मॉग पत्रों पर विचार।	
	(A)	विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आश्रितों का शिक्षण शुल्क मुक्त किये जाने पर विचार।
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रित छात्र/छात्राओं (दो बच्चों के लिए) को 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रित छात्र/छात्राओं (दो बच्चों के लिए) को 20 प्रतिशत शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव**
	(B)	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंकतालिका (जांच/प्रेषण) के समान उपाधि जांच के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान रु0 10.00 प्रति तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं प्रेषण हेतु रू0 05.00 प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिये जाने पर विचार। **उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से उक्त के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त अधिकारी जी को अधिकृत किया गया।** **कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी**
	(C)	नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत एक वर्ष में दो बार मूल्यांकन कराये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों को तद्नुरूप वर्ष में दो बार मूल्यांकन पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने पर विचार।
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त

		समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य विश्वविद्यालयों से उक्त के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु वित्त अधिकारी जी को अधिकृत किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी**
	(D)	उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में वित्त समिति द्वारा स्वीकृत सत्यापन पारिश्रमिक का अनुमोदन कार्यपरिषद से कराते हुए शीघ्र भुगतान कराये जाने पर विचार।
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव**
प्रस्ताव संख्या 2021:63:14	**'होमगार्डस स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता आदि के अवशेष एरियर का भुगतान तत्काल कराने के संबंध में' विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक ई–मेल/सर्वोच्च प्राथमिकता संख्या–505/सत्तर–4–2022 दिनांक 21 मार्च, 2022 के आलोक में प्रभारी, सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।**	

विगत वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.12.2022 के मद संख्या 2021:62:32 "होमगार्डस के एरियर के भुगतान की धनराशि को आगामी बजट में प्राविधानित करते हुए तद्नुसार उपलब्ध धनराशि के अनुसार एरियर का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किये जाने पर विचार" के माध्यम से वित्त समिति द्वारा संगत अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त विचार करते अगले वित्तीय बजट में प्रावधान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसके सम्बन्ध में शासन से पुनः 'होमगार्डस स्वयं सेवकों की ड्यूटी भत्ता आदि के अवशेष एरियर का भुगतान तत्काल कराने के संबंध में' विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक ई–मेल/सर्वोच्च प्राथमिकता संख्या–505/सत्तर–4–2022 दिनांक 21 मार्च, 2022 प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2340/सत्तर–4–2021, दिनांक 30.11.2021, पत्र संख्या–2461/सत्तर–4–2021, दिनांक 10.12.2021, पत्र संख्या–2546/सत्तर–4–2021, दिनांक 23.12.2021, पत्र संख्या–2623/सत्तर–4–2021, दिनांक 30.12.2021, पत्र संख्या–143/सत्तर–4–2021, दिनांक 31.01.2022 एवं पत्र संख्या–307/सत्तर–4–2021, दिनांक 22.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार आपके विश्वविद्यालय में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता के अवशेष एरियर का विवरण निम्नवत है:–

क्0सं0	*विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम*	*अवशेष धनराशि (रुपये में)*
1	*छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर*	*43598864/–*

2— अवगत कराना है कि उक्त पत्र दिनांक 10.12.2021 द्वारा विश्वविद्यालयों में नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों ड्यूटी भत्ता के अवशेष एरियर का भुगतान 10 दिनों के भीतर कराकर की इसकी सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु इस संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विषयगत मामले में दिनांक 24.12.2021 को अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभागों/संस्थानों में तैनात होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के अवशेषों का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के भीतर कराने की अपेक्षा की गयी थी। चूँकि प्रकरण मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशों से आच्छादित है। अतः उक्त पत्र दिनांक 22.02.2022 द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में नियोजित होमगार्ड स्वयं सेवकों से संबंधित अवशेष एरियर के भुगतान की सूचना दिनांक 28.02.2022 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु शासन को सूचना अप्राप्त है। यह स्थिति किसी भी दशा में संतोषजनक

		नहीं कही जा सकती है। *3– अतः उक्त विषयगत मामलें में विश्वविद्यालयों में नियोजित होमगार्ड स्वयं सेवकों से संबंधित अवशेष एरियर का भुगतान की सूचना दिनांक 28.03.2022 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,* के आलोक में प्रभारी, सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 307/सत्तर–4–2022 दिनांक 22.02.2022 के कम में शासन के पत्र संख्या–2340/सत्तर–4–2021 दिनांक 30.11.2021, 2461/सत्तर–4–2021 दिनांक 10.12.2021, 2546/सत्तर–4–2021 दिनांक 23.12.2021, 2623/सत्तर–4–2021 दिनांक 30.12.2021 एवं 143/सत्तर–4–2021 दिनांक 31.01.2021 के सन्दर्भ में एवं पृष्ठ संख्या–175 पर मा0 कुलपति जी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में विश्वविद्यालय में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता का अवशेष एरियर रू0 4,35,98,864.00 के भुगतान सम्बन्धित प्रकरण को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव
अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से (पूरक कार्यवृत्त)		
प्रस्ताव संख्या 2021:63:01 अ.बि.		**विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन के मांग–पत्र दिनांक 24.03.2022 (तीन–अतिरिक्त निम्न मांगों) पर विचार।**
	1.	**कर्मचारियों के वेतन इत्यादि को संरक्षित व सुरक्षित किये जाने के दृष्टिगत एक कम से कम रू0 250 करोड़ के कार्पस फण्ड बनाये जाने पर विचार।**
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी
	2.	**तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वाहन ऋण रू0 30,000/– के स्थान पर रू0 01.00 लाख किये जाने पर विचार।**
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सन्दर्भित प्रकरण पर राज्य सरकार के शासनादेशों व अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में लागू प्रकिया को अंगीकृत किये जाने हेतु वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव
	3.	**सेवानिवृत्त कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति के उपरान्त कैम्पस आवास का किराया पी0डब्ल्यू0डी0 के शेड्यूल की दरों पर लिये जाने पर विचार।**
		उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। सन्दर्भित प्रकरण को विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वापस किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : कुलसचिव

प्रस्ताव संख्या 2021:63:02 अ.बि.	**विश्वविद्यालय में Digitalization हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान पर विचार।**
	अवगत कराया गया कि वर्तमान में छात्रहित को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय को समस्त छात्र सेवाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। इस क्रम में अद्यतन टेबुलाईजेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस क्रम में छात्रों की अवार्डलिस्ट/अवार्डफ्वाईल का भी डिजिटलाईजेशन होना आवश्यक होगा। क्योंकि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तभी सुचारू रूप से सम्पन्न हो पायेगी। प्रारम्भिक अनुमानुसार 1968 से 2012 के मध्य लगभग एक करोड़ छात्र पंजीकृत हुये हैं और यदि इनके द्वारा औसतन दो वर्ष का पाठ्यक्रम पूर्ण किया गया होगा, तब लगभग 12 करोड़ प्रविष्टियॉ होंगी। सामान्यतः 30 लाख सीट पर उक्त विवरण अंकित है। इसे स्कैन कराने हेतु लगभग 75 लाख रुपये का व्यय सम्भावित है। उक्त कार्य हेतु आवश्यक वित्तीय प्राविधान आगामी वित्त वर्ष के लिये प्रस्तावित आय-व्ययक में सम्मिलि करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
	उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। **कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी**
प्रस्ताव संख्या 2021:63:03 अ.बि.	**विश्वविद्यालय के प्लेसमेन्ट सेल के वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट आवंटन पर विचार।**
	अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल मे लगातार छात्रों के हित में विभिन्न ड्राइव का संचालन किया जा रहा है एवं विश्वविद्यालय के लगभग 200 से जादा छात्र विभिन कंपनियों में नौकरी पा चुके है। प्लेसमेंट सेल के संचालन में ट्रेनिंग प्लेसमेंट आफिसर जिनका वेतन प्रतिमाह 50,000/- से 75,000/- तक है जिसका वाषिक व्यय लगभग 6,00,000/- से 9,00,000/-तक होगा। प्लेसमेंट आफिसर की नियमित कंपनी विजिट के लिये उनका आगमन प्रस्थान रहने एवं कंपनी में जाने के लिये वाषिक व्यय लगभग 5,00,000/- तक होगा। कंपनीयों का आगमन वाषिक प्लेसमेंट के लिये किये जाने वाले व्यय-आगमन प्रस्थान (वाया फ्लाईट), उनके उपर सत्कार हेतु खर्च (वेलकम बुके, रिटर्निग गिफ्ट (टोकन ऑफ रिलेशनशिप) जिसका वाषिक व्यय लगभग 10,00,000/- तक होगा। प्लेसमेंट सेल के ड्राइव हेतु कंपनी के प्रचार एवं प्रसार हेतु स्टैडी, स्टेशनरी, बैनर, पोस्टर, इत्यादि का वार्षिक व्यय लगभग 3,00,000/- तक होगा। प्लेंसमेंट सेल में 2 कम्पयूटर, 2 प्रिटंर एवं 1 फोटोकॉपी मशीन की आवश्यकता होगी जिसका वार्षिक व्यय लगभग 4,00,000/- तक होगा। प्लेसमेंट ड्राइव के लिये सीभावित दो जी.डी 12 से 15 छात्रों के बैठने एवं संवाद के लिये क्यूबिकल पार्टिशन रुम एवं दो इंटरव्यू क्यूबिकल पार्टिशन सहित रुम इंटरनेट लाइन, एवं दोनो रुम के लिये 4 ए.सी. की आवश्यकता होगी जिसका वार्षिक व्यय लगभग 10,00,000/-

प्लेसमेंट सेल के लिये एक सॉफ्ट स्किल सी0डी0सी0 ट्रेनर एवं एक एप्टीट्यूड ट्रेनर जो कि छात्रो का मानकीकरण करने के लिये आवश्यकता है जिसका वार्षिक व्यय लगभग 12 लाख तक होगा।

एजेंसी से नियुक्त टी.पी.ओ	9,00,000/–
कंपनी विजिट	5,00,000/–
कंपनी के आने जाने का खर्च	12,00,000/–
प्रसार एवं प्रचार का खर्च	3,00,000/–
कम्पयूटर, प्रिंटर एवं फोटोकॉपी मशीन	4,00,000/–
जी.डी एवं इंटरवियू रुम	10,00,000/–
साफ्ट स्किल ट्रेनर एवं एप्टीट्यूट ट्रेनर	12,00,000/–
कुल योग	**55,00,000/–**

अतः उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए प्लेसमेंट सेल को 1 वर्ष 2022–2023 का उपर्युक्त फंड को भुगतान करने के लिये उचित कार्यवाही करना चाहें।

उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी

प्रस्ताव संख्या 2021:63:04 अ.बि.	**विश्वविद्यालय के पी.एम.यू.सेल (Project Monitoring Unit Cell) के वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु बजट आवंटन पर विचार।**

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं ई0आर0पी0 आउटसोर्स के माध्यम से संचालित हो रही थी जिसका हर वर्ष का व्यय लगभग 2 करोड़ था। जो कि कई वर्षों से चल रहा था, परन्तु अब विश्वविद्यालय ने खुद का इ0आर0पी0 और वेबसाइट पी0एम0यू0 सेल द्वारा develop कर लिया है एवं अब सुचारु रुप से चल रहा है।

विश्वविद्यालय के पी0एम0यू0 सेल में वेबसाइट एवं ई0आर0पी0 को develop करने के 05 developer निक्सी द्वारा दिये गये है एवं 3 और डेवलेपर की अवश्यकता है उनका Increment 5% जोड़ के वार्षिक व्यय लगभग 80,00,000/– तक होगा।

विश्वविद्यालय में एजेंसी से नियुक्त डेवलेपर (कुल 4) का वेतन लगभग रु 1,80,000/– प्रतिमाह (प्रति डेवलेपर 45,000/– फिक्स) है एवं 2 और डेवलेपर एजेंसी द्वारा आवशयकता होगी। जिसका वार्षिक व्यय 32,40,000/– तक है।

पी0एम0यू0 सेल में इ0आर0पी0 और वेबसाइट के लिये एस0एम0एस0 व ई–मेल पैकेज भी लिया गया है जिसका व्यय लगभग (प्रतिमाह 1,40,000/–) एवं एस0एम0एस0 पैकेज विश्वविद्यालय के कोडिंग विभाग के लिये भी दिया जाता है, जिसका वार्षिक व्यय लगभग रु. 16,80,000/– तक होगा।

पी0एम0यू0 सेल में फर्नीचर की आवश्यकता है जिसमें कुर्सियां टेबल, शेल्फ, एवं ए.सी है जिसका व्यय लगभग 6,00,000/– तक होगा।

पी0एम0यू0 सेल में इ0आर0पी0 और वेबसाइट को आगे भी सुचारु रुप से चलाने हेतु developers को आउटसोर्स वेब होस्टिंग क्लाउड सर्विसेस की आवश्यकता होगी जिसका व्यय लगभग 2,00,000/– प्रतिमाह होगा जिसका वार्षिक व्यय लगभग 24,00,000/– तक होगा। एवं विविध व्यय में भी 1,00,000/– तक की आवश्यकता होगी।

	निक्सी डेवलेपर पेमेंट	80,00,000 / — (वार्षिक)
	एजेंसी से नियुक्त डेवलेपर	32,40,000 / — (वार्षिक)
	वेब होस्टिंग क्लाउड सर्विस	24,00,000 / —(वार्षिक)
	एस.एम.एस पैकेज	16,80,000 / —(वार्षिक)
	फर्नीचर	6,00,000 / —
	विविध	1,00,000 / — (वार्षिक)
	कुल योग	**1,60,20,000 / —**
	उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेते हुए पी0एम0यू0 सेल को 1 वर्ष का उपर्युक्त फंड को भुगतान करने के लिये वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।	
	उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी	
प्रस्ताव संख्या 2021:63:05 अ.बि.	**विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एण्ड सोसल साइंसेज के वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु बजट आवंटन पर विचार।**	
	उक्त प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सन्दर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। कार्यवाही अपेक्षित : वित्त अधिकारी	

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(प्रेम शंकर चौधरी)
वित्त अधिकारी / सचिव

(प्रो. विनय कुमार पाठक)
कुलपति / अध्यक्ष